

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

महत्त्वपूर्ण निर्देश / IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. अपेक्षित विवरण केवल "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें, अन्य किसी स्थान पर नहीं।
2. "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" (रफ कार्य के पृष्ठ सहित) के अन्दर कहीं पर भी कोई पहचान चिन्ह यथा, रोल नम्बर, नाम, पता, मोबाइल नम्बर/टेलीफोन नम्बर, देवताओं के नाम अथवा प्रश्न के उत्तर से असम्बंधित कोई भी शब्द, वाक्य एवं अंक लिखे जाने या अकित किये जाने को अनुचित साधनों का उपयोग माना जायेगा। ऐसा पाये जाने पर अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अन्यथिता रद्द कर दी जायेगी।
3. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा। वह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के तहत दापिंडक कार्यवाही हेतु भी उत्तरदायी माना जायेगा।
4. प्रश्नों की संख्या और उनके अंक "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में अकित किये गये हैं।
5. प्रश्नों के उत्तर निरपवाद रूप से "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिये गये स्थान पर ही लिखें, कहीं और नहीं, अन्यथा ऐसे उत्तर का मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी उत्तर निर्धारित जगह में हीं लिखें। किसी भी परिस्थिति में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
7. फ्लेप पर "उत्तर के माध्यम" के चौखाने में भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक विकल्प को द्वारा चिन्हित करें तथा उत्तर उसी चयनित भाषा में दीजिये।
8. किसी प्रश्न में अंग्रेजी व हिन्दी भाषान्तर में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी भाषान्तर को प्रमाणिक माना जाये।
9. यदि "प्रश्न पत्र-सह-उत्तर पुस्तिका" कहीं से कटी-फटी या अमुद्रित है, तो शीघ्रताशीघ्र वीक्षक से कह कर उसे बदलवा लें या वीक्षक के ध्यान में ला दें, अन्यथा उसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
10. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र के साथ प्रवेश करना सर्वथा वर्जित है।

* * * * *

1. Write the required particulars only on the flap provided on the top of "Question Paper-cum-Answer Book"; and not at any other place.
2. Do not write any mark of identity inside the "Question Paper-cum-Answer Book" (including paper for rough work) i.e. Roll No., Name, Address, Mobile No./Telephone No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as unfair means. In such a case his candidature shall be rejected for the entire examination.
3. A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render him liable for disqualification. He shall also be liable for penal action under The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992.
4. The number of questions and their marks are indicated in the "Question Paper-cum-Answer Book".
5. The answers of the questions should strictly be written in the space provided below question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
6. The candidate should write the answers in the provided space. No Supplementary Answer Book shall be provided in any case.
7. Specify an option of language Hindi or English, by ticking in box of "Medium of Answer" on the flap and answer in the same opted language.
8. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
9. In case the "Question Paper-cum-Answer Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of Invigilator for change or direction, at earliest otherwise the candidates will be liable for that.
10. Possession of any type of electronic device is strictly prohibited in the Examination Hall.

* * * * *

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

EVALUATION TABLE

Q.NO.	Max. MARKS	MARKS	Q.NO.	Max. MARKS	MARKS
1	3		12	4	
2	3		13	4	
3	3		14	4	
4	3		15	4	
5	3		16	4	
6	3		17	4	
7	3		18	6	
8	3		19	6	
9	4		20	8	
10	4		21	10	
11	4		22	10	

Examiner's Remarks (if any)

GRAND TOTAL: IN FIGURES

IN WORDS

SIGNATURE OF EXAMINER(S)


SIGNATURE OF HEAD EXAMINER(S)

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोट: समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Question No. 1

[03 Marks]




Explain the procedure of execution of documents in compliance of the decree passed by the court.

प्रश्न संख्या 1

न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना में दस्तावेजों के निष्पादन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।

Question No. 2

[03 Marks]



Analogs to Public Interest Litigation, the Civil court is also empowered to entertain the suit of public interest. Explain in detail the competence and procedure to file such suit.

प्रश्न संख्या 2

जनहित याचिका की तर्ज पर सिविल न्यायालय को भी जनहित का दावा सुनने का अधिकार है। ऐसा दावा प्रस्तुत करने के लिए सक्षमता एवं प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन करें।

Question No. 3

[03 Marks]

100

What is external aid to construction of an Act? Explain.

प्रश्न संख्या 3

किसी अधिनियम के निर्माण के लिए बाह्य सहायता क्या है? स्पष्ट कीजिए।

Question No. 4

[03 Marks]

1

Once a debt is barred by limitation, part-payment thereof does not operate to extend or revive the limitation period. Explain the legality of this statement.

Under which circumstances debt can be restored after lapse of the limitation period.


प्रश्न संख्या 4

एक बार जब ऋण परिसीमा से बाधित हो जाता है, तो उसके आंशिक भुगतान से परिसीमा की अवधि बढ़ाई या पुनर्जीवित नहीं की जा सकती है। इस कथन की वैधता की व्याख्या करें।

किन परिस्थितियों में परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऋण को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

Question No. 5

[03 Marks]



“Time is not essence of the contract in case of contracts relating immovable property.”
Explain this statement with the help of decided case law. Also state the exceptions to this statement.

प्रश्न संख्या 5

“स्थावर सम्पत्ति की संविदा के मामले में समय संविदा का सार नहीं होता है।”

इस कथन को निर्णयज विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इस कथन के अपवाद भी बताइये।

Question No. 6

[03 Marks]

A blank rectangular box with a black border, intended for a child to draw or write in.

Under following conditions, how the court fees shall be calculated in the suit for partition and to determine the separate share of joint undivided property of the family?

- A. By a plaintiff who has been excluded from possession - the suit is filed for seeking relief of separate possession, on exclusion from possession.
- B. Where the suit is filed for partition of the plaintiff's share in the jointly possessed property.

प्रश्न संख्या 6

निम्नलिखित दशाओं में, कुटुम्ब की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति के विभाजन तथा पृथक हिस्से के निर्धारण के वाद में, न्यायशुल्क की गणना किस प्रकार की जाएगी?

अ. ऐसे वादी द्वारा जिसे कब्जे से अपवर्जित कर दिया गया हो – कब्जे से बेदखल किए जाने पर, दावा पृथक कब्जा चाहने के अनुतोष के लिए दायर किया गया हो।

ब. जहां दावा, संयुक्त कब्जे वाली सम्पत्ति में वादी के हिस्से के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया हो।

Question No. 7

[03 Marks]



Explain the penalty/punishment and provisions thereof, for the unauthorized occupant of revenue land, in case of appearance after notice and non-appearance after notice, under the provisions of Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

प्रश्न संख्या 7

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत, राजस्व भूमि पर अनाधिकृत कब्जाधारी को नोटिस दिए जाने के पश्चात् उपस्थित होने की स्थिति में व उपस्थित नहीं होने की स्थिति में दण्ड/जुर्माना तथा उसके प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

Question No. 8

[03 Marks]

In a suit of specific performance of unregistered agreement of immovable property, defendant took a defence that the suit is not maintainable because the document is not registered. Explain with the help of case laws about the admissibility and use of such unregistered agreement in evidence.

प्रश्न संख्या 8

स्थावर सम्पत्ति के मामले में, अपंजीकृत इकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के दावे में प्रतिवादी यह बचाव लेता है कि दस्तावेज पंजीकृत न होने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। इस अपंजीकृत करार की साक्ष्य में ग्राह्यता व उपयोग को निर्णित विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

Question No. 9

[04 Marks]



In which cases the landlord has a right to recover immediate possession. Explain with the help of relevant provision of the Rajasthan Rent Control Act, 2001.

प्रश्न संख्या 9

किन मामलों में भूस्वामी को तुरन्त कब्जा पुनः प्राप्ति का अधिकार है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के सुसंगत प्रावधान की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Question No. 10

[04 Marks]



'A', a nationalized bank gave loan to 'B', a company on 01.01.2015. 'B' did not make payment and 'A' recalled the loan and demanded the loan amount vide notice dated 01.01.2017. 'B' did not pay even after the notice and also not replied the notice. An audit team visited the Bank. During the ongoing audit in the Bank, 'A' demanded the balance sheet from 'B' to be shown to audit team. 'B' sends the balance sheet, account statement etc. signed by the Directors of the company on 10.10.2017 to 'A'. The balance sheet, account statement etc. shows the entries of loan and outstanding amount of loan. Thereafter, bank 'A' filed suit on 01.01.2019 against 'B' for recovery of loan amount. 'B' contended that the suit is barred by limitation. Decide with the help of relevant case laws.

प्रश्न संख्या 10

“क”, एक राष्ट्रीयकृत बैंक “ख”, एक कम्पनी को दिनांक 01.01.2015 को ऋण देता है। “ख” भुगतान नहीं करता है तथा “क” ऋण का तकाजा करता है तथा नोटिस दिनांक 01.01.2017 के जरिए ऋण राशि की मांग करता है। “ख” नोटिस के बावजूद भी अदायगी नहीं करता है एवं नोटिस का जवाब भी नहीं देता है। एक लेखा परीक्षक दल बैंक का दौरा करता है। बैंक में लेखा परीक्षण के दौरान, “क” “ख” से लेखा परीक्षक दल को दिखाने के लिए बैलेन्स शीट मांगता है। दिनांक 10.10.2017 को “ख” कम्पनी के निदेशकों से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट, खाता विवरण आदि “क” को भेजता है। बैलेन्स शीट, खाता विवरण आदि ऋण तथा ऋण की बकाया राशि की प्रविष्टियां दर्शित करती हैं। उसके बाद, दिनांक 01.01.2019 को बैंक “क” एक वाद “ख” के विरुद्ध ऋण की राशि की अदायगी के लिए दायर करता है। “ख” प्रतिरोध करता है कि वाद समयावधि बाधित है। सुसंगत निर्णित विधि की सहायता से तय कीजिए।

Question No. 11

[04 Marks]

1000

What are the categories of infrastructure projects specified in the schedule of Specific Relief Act? What are the special provisions for contract relating to infrastructure projects. Explain with the help of relevant provisions.

प्रश्न संख्या 11

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की अनुसूची में अवसंरचना परियोजनाओं के प्रवर्ग क्या हैं? अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदा के लिये क्या विशेष प्रावधान हैं? सुसंगत प्रावधानों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

Question No. 12

[04 Marks]

A simple black-outlined rectangle with a slightly irregular top edge, intended for a child to draw or write in.

Write a short note upon any two of the following-

- A. Doctrine of Pith and Substance
- B. Doctrine of Colourable Legislation
- C. Doctrine of Eclipse

प्रश्न संख्या 12

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- क. सार और तत्त्व का सिद्धान्त
- ख. छन्द विधायन का सिद्धान्त
- ग. आच्छादन का सिद्धान्त

A. Doctrine of Pith and Substance

क. सार और तत्त्व का सिद्धान्त

B. Doctrine of Colourable Legislation

ख. छद्म विधायन का सिद्धान्त

Digitized by srujanika@gmail.com

C. Doctrine of Eclipse

ग. आच्छादन का सिद्धान्त

Question No. 13

[04 Marks]

"Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, it cannot be 'cribbed, cabined and confined' within traditional and doctrinaire limits."

Explain in the light of above statement the test for valid classification with the help of relevant case law.

प्रश्न संख्या 13

“समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है, इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर ‘संकीर्ण, सीमाबद्ध और प्रतिबंधित’ नहीं किया जा सकता है।”

उपरोक्त कथन के प्रकाश में सुसंगत निर्णित विधि की सहायता से वैध वर्गीकरण के परीक्षण की व्याख्या कीजिए।

Question No. 14

[04 Marks]

1000

Ram instituted a suit against Suresh for specific performance of a written contract and also seeks relief that the contract may be reformed as to one of its provisions, as that provision was inserted in it by mistake. Whether Ram can prove by oral evidence that such a mistake was made? Explain with the help of relevant provisions of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

प्रश्न संख्या 14

राम एक लिखित संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए सुरेश के विरुद्ध एक वाद संस्थित करता है तथा यह अनुतोष भी चाहता है कि उस संविदा के प्रावधानों में से एक में सुधार किया जाए चूंकि वह प्रावधान गलती से इसमें शामिल कर दिया गया। क्या राम मौखिक साक्ष्य से साबित कर सकता है कि ऐसी गलती हो गई थी? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के सुसंगत प्रावधानों की मदद से व्याख्या कीजिए।

Question No. 15

[04 Marks]



Rules of evidence are generally the same in civil and criminal proceedings. Give the exceptions, if any, with the help of relevant provisions.

प्रश्न संख्या 15

सिविल एवं दार्पणिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के नियम सामान्यतः समान हैं। अपवाद, यदि कोई हों, सुसंगत प्रावधानों की सहायता से बताइए।

Question No. 16

[04 Marks]



Explain briefly any **two** of the following—

- A. Effects of non-registration of firm
- B. Doctrine of Caveat Emptor and its exceptions
- C. Right of Lien and termination of unpaid seller
- D. Duration of the unpaid seller's right of stoppage of goods in transit

प्रश्न संख्या 16

निम्न में किन्हीं दो की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए -

- क. फर्म के अपंजीयन के प्रभाव
- ख. क्रेता सावधान का सिद्धान्त व इसके अपवाद
- ग. असंदर्भ विक्रेता का धारणाधिकार व समाप्ति
- घ. असंदर्भ विक्रेता के माल को परिवहन में रोकने के अधिकार की अवधि

A. Effects of non-registration of firm

क. फर्म के अपंजीयन के प्रभाव

B. Doctrine of Caveat Emptor and its exceptions

ख. क्रेता सावधान का सिद्धान्त व इसके अपवाद

C. Right of Lien and termination of unpaid seller

ग. असंदर्भ विक्रेता का धारणाधिकार व समाप्ति

D. Duration of the unpaid seller's right of stoppage of goods in transit

घ. असंदर्भ विक्रेता के माल को परिवहन में रोकने के अधिकार की अवधि

Question No. 17

[04 Marks]


Explain in detail the “KARABAT” and “MUSHARAT” in the context of Muslim marriage.

प्रश्न संख्या 17

मुस्लिम विवाह के परिप्रेक्ष्य में “कराबत” व “मुशारत” को विस्तार से स्पष्ट कीजिए।

Question No. 18

[06 Marks]



Write a short note on any **three** of the following –

- A. Substituted Service
- B. Attachment before judgement
- C. Legal Representative
- D. Settlement of disputes outside the court
- E. Restitution

पृष्ठनं संख्या 18

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- क. प्रतिस्थापित तामील
- ख. निर्णय से पूर्व कुर्की
- ग. विधिक प्रतिनिधि
- घ. न्यायालय के बाहर विवादों का निस्तारण
- य. प्रत्यास्थापन

A. Substituted Service

க. பிரதிஸ்஥ாபித தமிழ்

B. Attachment before judgement

ख. निर्णय से पूर्व कुर्की

C. Legal Representative

ग. विधिक प्रतिनिधि

D. Settlement of disputes outside the court

घ. न्यायालय के बाहर विवादों का निस्तारण

E. Restitution

य. प्रत्यास्थापन

Question No. 19

[06 Marks]



What are the rights and liabilities of buyer and seller? Explain with the help of relevant provisions under the Transfer of Property Act, 1882.

प्रश्न संख्या 19

क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व क्या हैं? संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अंतर्गत सुसंगत प्रावधानों की मदद से व्याख्या कीजिए।

Question No. 20

[08 Marks]

Write short note on the following-

- A. Voidable marriage under Hindu Marriage Act, 1955
- B. General Rules of Succession in the case of female Hindu, died intestate
- C. Facts to be kept in mind by the court while determining the amount of maintenance under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956
- D. Guardians of the person and property of a minor under Hindu Minority and Guardianship Act, 1956

प्रश्न संख्या 20

निम्न पर लघु लेख लिखिए—

- अ. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शून्यकरणीय विवाह
- ब. हिन्दू महिला की निर्वसीयत मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार के सामान्य नियम
- स. हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरणपोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भरणपोषण की राशि के निर्धारण के समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य
- द. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक अपत्य के शरीर एवं सम्पत्ति के संरक्षक

A. Voidable marriage under Hindu Marriage Act, 1955

अ. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत शून्यकरणीय विवाह

B. General Rules of Succession in the case of female Hindu, died intestate

ब. हिन्दू महिला की निर्वसीयत मृत्यु की दशा में उत्तराधिकार के सामान्य नियम

C. Facts to be kept in mind by the court while determining the amount of maintenance under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956

स. हिन्दू दत्तकग्रहण एवं भरणपोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भरणपोषण की राशि के निर्धारण के समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले तथ्य

D. Guardians of the person and property of a minor under Hindu Minority and Guardianship Act, 1956

द. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक अपत्य के शरीर एवं सम्पत्ति के संरक्षक

The applicant/plaintiff has filed a civil suit seeking permanent injunction against the non-applicant/defendant (Municipality), restraining it from dispossessing him from the suit land. Along with the plaint, the applicant also filed an application under Order XXXIX Rules 1 & 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 for grant of temporary injunction.

The applicant stated that he is in possession of the suit land for several years and has raised temporary structures. The Municipality is threatening to demolish his possession without following due process of law. Balance of convenience is in his favour and he will suffer irreparable loss if injunction is not granted.

Non-applicant (Municipality) stated that the suit land belongs to the Municipality as per revenue records, and the applicant is in unauthorised possession. The applicant has approached the Court after considerable delay, only when eviction proceedings were initiated. The applicant has not come with clean hands, has suppressed material facts, and is trying to protect his illegal possession. The Municipal Authorities have already passed an eviction order against the applicant, which is appealable under the Municipal law, and hence an equally efficacious alternative remedy is available. Therefore, the applicant has no *prima facie* case or equity in his favour.

On the basis of the above facts, write a reasoned order.

प्रश्न संख्या 21


प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थी/प्रतिवादी (नगरपालिका) के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का एक दिवानी दावा वादग्रस्त भूमि से बेदखली से रोके जाने के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के साथ प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।


प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उसका वादग्रस्त भूमि पर कई वर्षों से कब्जा है तथा उसके द्वारा अस्थाई निर्माण भी किया गया है। नगरपालिका, विधि की सम्यक अनुपालना किए बिना उसके कब्जे से बेदखल

करने की धमकी दे रही है। सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है व यदि अस्थाई निषेधाज्ञा मंजूर नहीं की जाती है तो उसे अपूर्तनीय क्षति होगी।

अप्रार्थी नगरपालिका द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार नगरपालिका की है तथा प्रार्थी का उस पर अनाधिकृत कब्जा है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष काफी विलम्ब से तब आया है, जब बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, तात्त्विक तथ्य छिपाए हैं तथा अपने अवैध कब्जे को संरक्षित करवाना चाहता है। नगरपालिका प्राधिकारों द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में ही बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है जो नगरपालिका विधि के अंतर्गत अपील योग्य है, इस प्रकार प्रभावी रूप से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथमदृष्ट्या मामला या साम्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सकारण आदेश लिखिए।





Question No. 22**[10 Marks]**

The plaintiff, Saurabh, claims to be the adopted son of late Hari Shankar and his widow, Shakuntala (defendant No. 1). Hari Shankar died in 2015 leaving behind his widow Shakuntala as his sole heir. In 2018, Shakuntala adopted Saurabh through a registered adoption deed, even though Saurabh was already married at that time.

After the adoption, Shakuntala executed a registered sale deed in 2020 in favour of defendant No. 2 Ramesh, selling the immovable property which originally belonged to her late husband, Hari Shankar.

The plaintiff Saurabh filed a suit seeking cancellation of the sale deed and declaration of his rights in the property.

Plaintiff's Contention:

By virtue of valid adoption, he became the son of Shakuntala and Hari Shankar. Under the Doctrine of Relation Back, his adoption dates back to the death of Hari Shankar, and thus he is deemed to have been in existence as Shakuntala's son at the time of Hari Shankar's death. Therefore, Shakuntala alone had no right to alienate the property after Hari Shankar's death, and the sale deed executed by her in favour of defendant No. 2 is void and not binding upon the plaintiff.

Defendant Shakuntala, while filing the written statement, contended that she was the sole heir after Hari Shankar's death and had every right to dispose of the property. The adoption is invalid and hence, plaintiff acquired no right. She executed the sale deed in 2020 much before the plaintiff challenged it, and Ramesh is a bonafide purchaser for value without notice. The Doctrine of Relation Back is not applicable.

On the basis of the above facts, frame the issues and write a reasoned judgement.

प्रश्न संख्या 22

वादी सौरभ, मृतक हरिशंकर व उसकी विधवा शकुन्तला (प्रतिवादी संख्या 1) का दत्तक पुत्र होने का अभिकथन करता है। हरिशंकर की मृत्यु 2015 में हुई, जो अपने पीछे अपनी विधवा शंकुतला को एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ गया। वर्ष 2018 में शकुन्तला द्वारा पंजीकृत दत्तक-विलेख के जरिए सौरभ

को गोद लिया गया यद्यपि सौरभ उस समय पूर्व से ही विवाहित था। दत्तकग्रहण के पश्चात वर्ष 2020 में शकुन्तला द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति जो कि मूलतः उसके मृतक पति हरिशंकर की थी, का विक्रय प्रतिवादी संख्या 2 रमेश के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया।

वादी सौरभ द्वारा एक वाद, विक्रय पत्र को निरस्त करने एवं सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया।

वादी का अभिकथन :

वैध दत्तकग्रहण के कारण वह शकुन्तला व हरिशंकर का पुत्र हो गया। पूर्व सम्बन्ध के सिद्धान्त के अंतर्गत उसका दत्तकग्रहण हरिशंकर की मृत्यु की तारीख से पूर्व का था एवं इस प्रकार उसे मृतक हरिशंकर की मृत्यु के समय शकुन्तला के पुत्र के रूप में अस्तित्व में माना जाएगा। इस प्रकार, अकेले शकुन्तला को हरिशंकर की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति के स्थानान्तरण का अधिकार नहीं था व प्रतिवादी रमेश के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र शून्य है तथा वादी पर आबद्धकारी नहीं है।

प्रतिवादी शकुन्तला की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया है कि मृतक हरिशंकर की मृत्यु के पश्चात् वह एकमात्र उत्तराधिकारी थी तथा उसे सम्पत्ति का निस्तारण करने का प्रत्येक अधिकार था। दत्तकग्रहण अमान्य है अतः वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। उसके द्वारा विक्रय पत्र, चुनौती दिए जाने के काफी समय पूर्व वर्ष 2020 में निष्पादित किया गया था। रमेश सप्रतिफल बिना सूचना के एक सद्भाविक क्रेता है। पूर्व सम्बन्ध का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर विवादिकों की विरचना कीजिए तथा सकारण निर्णय लिखिए।

SPACE FOR ROUGH WORK/रफ कार्य हेतु स्थान